

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक-सामान्य/2021/ 09

दिनांक : 02.02.2021

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपटित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह फरवरी, 2021 के निम्नांकित राजकीय अवकाशों में भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य यथा प्रोटोकॉल आदि के लिए कॉलम संख्या (2) में अंकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या (4) में अंकित अवकाश की तिथि को अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अपने न्यायालय में बैठकर एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस को कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है, तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर रहकर उक्तानुसार ही उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है -

क्र.सं.	नाम अधिकारी व मोबाईल नम्बर	पद नाम	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुश्री विनीता कालिया 9915104315	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण सं.-4, भीलवाड़ा	07.02.2021
2.	श्रीमती अनुपमा भटनागर 9783025828	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1, भीलवाड़ा	13.02.2021
3.	श्री अंकुर अग्रवाल, 9829715535	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण सं.-1, भीलवाड़ा	14.02.2021
4.	श्रीमती सुमन गिठाला, 8696106500	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3, भीलवाड़ा	21.02.2021
5.	श्री राकेश कुमार 8432694218	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण सं02, भीलवाड़ा	27.02.2021
6.	सुश्री निलिमा पंवार 9950045100	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-पूर्व, भीलवाड़ा	28.02.2021

— sd —
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

क्रमांक-सामान्य/2021/ 264

दिनांक : 02.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा।
2. श्रीयुत् जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिए उपर्युक्त दिनांक में अनिवार्यतः प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 तक न्यायालय में ही पहुंचने के लिए निर्देशित करने हेतु।
3. जिला आबकारी अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिए उपर्युक्त दिनांक में अनिवार्यतः प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 तक न्यायालय में ही पहुंचने के लिए निर्देशित करने हेतु।
4. संबंधित न्यायिक अधिकारी श्री
5. न्यायालय
6. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा।
7. प्रभारी अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा।
8. प्रभारी अधिकारी वायरलेस, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की संसूचना सभी आरक्षी केन्द्र को दें।
9. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त आदेश को जिला न्यायालय की website पर upload करें।
10. कार्यालय प्रति।

Abhishek
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)